(5)

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प उज्जैन म0प्र0

प्र0क0 / अपील PBR/अपील/शाजापुर/भू.रा/2017/4843

1. मांगीलाल पिता जयकिशन आयु 60 वर्ष
2. कैलाश पिता फत्तु आयु 35 वर्ष
3. रामबाबु पिता पन्नालाल आयु 45 वर्ष
4. धुलीबाई बेवा नारायणसिंह आयु 60 वर्ष

समस्त निवासी एवं कृषक ग्राम बिसनखेडी तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0

—— अपीलार्थीगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री अश्विन चौधरी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 02.11.2017
अधीक्षक 02.11.17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1. प्रेमनारायण पिता नारायणसिंह
2. जमनाप्रसाद आदि ग्रामवासी जनता ग्राम बिसनखेडी तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0

——— रिस्पांडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) द्वितीय म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के अंतर्गत प्र0क0 35–अ–21 / 2014–15 आदेश दिनांक 30.07.2016 माननीय आयुक्त महोदय संभाग उज्जैन प्र0क0 798 अपील / 2015–16 आदेश दिनांक 25.07.2017 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत है।

Noted
25-1-18

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/शाजापुर/भूरा/2017/4843

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	अपीलार्थी अधिवक्ता श्री आलोक शास्त्री द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-7-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई है । अपीलार्थी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन व तर्क में प्रत्येक दिवस के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाते हुये अपीलार्थी ने अपने भाई का स्वर्गवास हो जाने का कारण दर्शाया है तथा तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है । इस संबंध में 1992 आरएन 289 लंगरी(श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्यमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा - 5 - व्याप्ति - अधिकारिता की प्रकृति - वैवेकिक है - पक्षकार विलम्ब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदारनहीं है - पर्याप्त कारण का सबूत - अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है -न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढा सकता ।" अत: उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में यह अपील समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	